


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की
2 के तहत अप्रार्थीगण को 50,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया
है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड
14-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये
जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि
जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य अधिनियम
कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022
या गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
हो।


(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर,
वर्धमान जिला, सीकर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाबन